आज प्रार्थी श्री / अभि. [illegible]
AD ऑफिस से पेश की गई
की Tch से report ले कर
निकाला जाये पत्रावली दिनांक 23/2/24
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

23/2/24 PO सा. अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक
पधारे हैं। पत्रावली दि. 26/2/24 को पेश हो।

26/2/24 आज प्रार्थी श्री. आवेदक प्रार्थी ने प्रा. पत्र
O.R.10 पेश करने की प्रार्थना
पर उत्तर की प्रार्थना की। पत्रावली
पाठ पेश करने प्रा. पत्र दिनांक
18/3/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

18/3/24 आज प्रार्थी श्री। आवेदक प्रार्थी ने कथन किया
किया कि प्रा. पत्र O.R.10 पर पेश
नहीं करना चाहते हैं। इसलिये प्रा. पत्र
पेश करने की आवश्यकता नहीं है। अतः
आवेदक प्रार्थी की प्रार्थना पर प्रा. पत्र O.R.10
पर की प्रार्थना को निरस्त किया जाता है।
आवेदक प्रार्थी ने प्रा. पत्र विड्रॉ करने
प्रा. पत्र पेश किया जिसमें आवेदक ने
उल्लेख किया है कि प्रार्थी चारागाह के
रास्ता चाहता है परन्तु चारागाह प्राधिकारिण
होने के प्रा. पत्र आगे नहीं चलाना चाहते
अतः प्रा. पत्र विड्रॉ करने की अनुमति दी।
आवेदक प्रार्थी की प्रार्थना पर पत्रावली
[illegible] में खारिज की जाती। पत्रावली
[illegible] नम्बर के बाद दाखिल
दफ्तर हो। नियम सरे इजलास सुनाया गया।